I 1037/2023

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh

e-Stamp

Signature ....
ACC Name-AJIT KUMAR SRIVASTAV
ACC Code-UP14195304
ACC Add-SAIDPUR-GHAZIPUR
Mobile-8140944795
License No-121
Tahsil-Saidpur & District-Ghazipur

₹5,800

Certificate No.	:	IN-UP74798693148615V
Certificate Issued Date	:	01-Apr-2023 12:35 PM
Account Reference	:	NEWIMPACC (SV)/ up14195304/ SAIDPUR/ UP-GZP
Unique Doc. Reference	:	SUBIN-UPUP1419530443574711569026V
Purchased by	:	R B S S BY PR MULCHAND YADAV SO NITHURI YADAV
Description of Document	:	Article 35 Lease
Property Description	:	ARAZI NO 158SN0 ETC 6 GATA LEASE RAKBA 3500 SQ.MITER MAUZA KANAULI PAR AND TEH SAIDPUR DIST GHAZIPUR
Consideration Price (Rs.)	:	
First Party	:	MULCHAND SINGH YADAV SO NITHURI AND OTHERS
Second Party	:	R B S S BY PR MULCHAND YADAV SO NITHURI YADAV
Stamp Duty Paid By	:	R B S S BY PR MULCHAND YADAV SO NITHURI YADAV
Stamp Duty Amount(Rs.)	:	5,800 (Five Thousand Eight Hundred only)

सत्यमेव जयते

LOCKED
S.R. Saidpur
Ghazipur

IN-UP74798693148615V

Please write or type below this line

मूलचन्द   उदयनाथ   Ashu   मूलचन्द

JD 0030885584

Statutory Alert:
1. The authenticity of this Stamp certificate should be verified at 'www.shcilestamp.com' or using e-Stamp Mobile App of Stock Holding. Any discrepancy in the details on this Certificate and as available on the website / Mobile App renders it invalid.
2. The onus of checking the legitimacy is on the users of the certificate.
3. In case of any discrepancy please inform the Competent Authority.

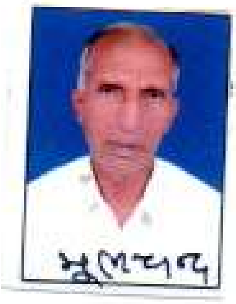

उपनिबंधक कार्यालय सैदपुर गाजीपुर

लीज डीड

स्टाम्प	:	5800 (पांच हजार आठ सौ रूपये)
मासिक किराया	:	4000रू0
वार्षिक किराया	:	48000रू0
मालियत	:	288000रू0
मौजा	:	कनौली परगना व तहसील सैदपुर जिला गाजीपुर
सम्पत्ति	:	आ0नं0 158सं0 रकबा 0.4490 व 293 रकबा 0.2950 व 292 रकबा 0.3900 व सं0224. रकबा 0.0778 व 271क रकबा 0.0260 व 276ख रकबा 0.0040 योग 6 गाटा रकबा 1.2418हे0 में से 0.3500हे0 यानि 3500 वर्ग मीटर है।

मूलचन्द उदयनाथ [signature] मूलचन्द

चौहद्दी	:	पूरब	–	भवन व ग्रामीण सडक
		पश्चिम	–	खेत बालचन्द
		उत्तर	–	खेत योगेन्द्र
		दक्षिण	–	ग्रामीण सडक

मूलचन्द सिंह यादव पुत्र निठुरी व उदय नाथ यादव पुत्र लालचन्द सिंह यादव व अशोक कुमार यादव पुत्र मूलचन्द यादव साकिन होलीपुर परगना व तहसील सैदपुर जिला गाजीपुर (लीजदाता) ....

मो0 नं0 9415293690

एवम्

राधाकृष्ण बालिका शिक्षण संस्थान कनौली होलीपुर गाजीपुर द्वारा प्रबंधक मूलचन्द यादव पुत्र निठुरी यादव साकिन होलीपुर परगना व तहसील सैदपुर जिला गाजीपुर (लीज ग्रहीता)........................

मो0 नं0 9415293690

अतः उभय पक्षो ने खूब सोच समझ कर बिना किसी भय, दबाव के यह लीज डीड निम्न शर्तो के आधार पर लिख दिया।

1. यह कि लीज डीड की मियाद 30 वर्ष अनधिक की होगी।
2. यह कि उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति के बावत किसी प्रकार का कोई विवाद किसी न्यायालय में विचाराधीन नही है।

मूलचन्द उदयनाथ Ashok मूलचन्द

3. यह कि उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति हर प्रकार के भार से मुक्त व पाक व साफ है। यह किसी दीगर रेहन बय या अनुबंधित नही है।
4. उक्त भू खण्ड मौजा कनौली परगना व तहसील सैदपुर जिला गाजीपुर में स्थित है।
5. यह कि प्रथम पक्ष ने आ0नं0 158स0 रकबा 0.4490 व 293 रकबा 0.2950 व 292 रकबा 0.3900 व सं0224. रकबा 0.0778 व 271क रकबा 0.0260 व 276ख रकबा 0.0040 योग 6 गाटा रकबा 1.2418हे0 में से 0.3500हे0 यानि 3500 वर्ग मीटर है। है। मौजा कनौली परगना व तहसील सैदपुर जिला गाजीपुर में बने भवन व सहन पर द्वितीय पक्ष को कब्जा व दखल करा दिया है अर्थात अब द्वितीय पक्ष को अधिकार होगा कि वह भवन का इस्तेमाल शिक्षा के लिए अपने हिसाब से करे इसमें प्रथम पक्ष को कोई आपत्ति नही होगी।
6. प्रथम पक्ष लीजदाता (मूलचन्द सिंह यादव पुत्र निठुरी व उदय नाथ यादव पुत्र लालचन्द सिंह यादव व अशोक कुमार यादव पुत्र मूलचन्द यादव साकिन होलीपुर परगना व तहसील सैदपुर जिला गाजीपुर) द्वितीय पक्ष (पट्टा ग्रहिता) को राधाकृष्ण बालिका शिक्षण संस्थान कनौली होलीपुर गाजीपुर को निम्न शर्तो के साथ दे रहे है।
7. यह कि उक्त भवन व बाउण्ड्रीवाल की मासिक किराया 4000रू0 है जिसे द्वितीय पक्ष को 48000रू0 वार्षिक अदा करता रहेगा।

मूलचन्द   उदयनाथ   [illegible]   मूलचन्द

8. यह कि लीज डीड की भवन व सहन की देखरेख एवं रंगाई पुताई का खर्चा स्वयं करना होगा व द्वितीय पक्ष को किसी अन्य को भवन किराये पर रखने का अधिकार नही होगा। विद्युत बिल का भुगतान कब्जे की तिथि से द्वितीय पक्ष करेगा इसके पूर्व के भुगतान व जिम्मेदारी प्रथम पक्ष की है।

9. यह कि द्वितीय पक्ष अपनी आवश्यक्तानुसार राधाकृष्ण बालिका शिक्षण संस्थान कनौली होलीपुर गाजीपुर के मानक अनुसार निर्माण करवा सकता है। और राधाकृष्ण बालिका शिक्षण संस्थान कनौली होलीपुर गाजीपुर के उपयोग में लाता रहेगा।

10. यह कि द्वितीय पक्ष दिनांक 01/04/2023 से 30 वर्ष अनधिक तक काबिज रहेगा। इसके बाद लीज डीड स्वतः समाप्त हो जायेगी। जिसको आगे उपयोग में लाने के लिए नवीनीकरण की आवश्यक्ता होगी।

11. हम प्रथम पक्ष व द्वितीय पक्ष दोनो भारत के नागरिक हैं। लीज की हुई सम्पत्ति अनुबंधित नही है। दोनो पक्ष अपनी ट्रस्ट /सोसाइटी का नवीनीकरण एवं अन्य प्रपत्र नियमित रखेंगे।

12. इस लीज डीड का निस्पादन लीजडीड कर्ता ने खूब सोच समझकर प्रसन्तापूर्वक विना किसी भार अनुचित व जोर दबाव के इन्द्रियों की स्वस्थ दशा में समक्ष गवाहान निष्पादित कर दिया कि सनद रहे और वक्त पर काम आवे। इस किरायेदारी पर नियमानुसार 5800/- रूपये का स्टाम्प शुल्क अदा किया गया है।

मूलचन्द उदयनाथ मूलचन्द

दिनांक :– 01/04/2023

मसविदाकर्ता – शिवपूजन सिंह यादव व0न0 सैदपुर गाजीपुर

गवाहान 1. अखिलेश यादव पुत्र राजाराम यादव अखिलेश
ग्राम व पोस्ट होलीपुर तहसील सैदपुर
जिला गाजीपुर

2. अजित पाण्डेय पुत्र उमाशंकर पाण्डेय अजीत पाण्डेय
ग्राम बभनौली पोस्ट देवचन्दपुर तहसील सैदपुर
जिला गाजीपुर

मूलचन्द उदयनाथ Adile मूलचन्द